न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, देसूरी, जिला पाली, राजस्थान।
पीठासीन अधिकारी– पूना राम गोदारा, आर जे एस

दाण्डिक निगरानी संख्या– 10/2026 (सी.आई.एस.नं. 10/2026)

01– जितेन्द्रसिंह सोलंकी पुत्र उदयसिंह सोलंकी, उम्र 54 वर्ष, निवासी वाणा चौक, झीलवाड़ा, राजसमंद, राजस्थान। ------ प्रार्थी

बनाम

01– राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, खान एवं खनिज विभाग, सोजत– पाली, राजस्थान।

02– राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक देसूरी, जिला पाली, राजस्थान

----- विपक्षी अभियोगी

निगरानी अन्तर्गत धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आदेश दिनांक 27–04–2026 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी, जिला पाली, सीआर नंबर 48/2026, पुलिस थाना खिंवाड़ा, जिला पाली, जुर्म अन्तर्गत धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 MMRD Act बअनवान सरकार बनाम देवेन्द्रसिंह वगैरा,

उपस्थितिः–

1 श्री प्रहलाद सिंह चूडावत, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2 श्री श्रवण सिंह सोलंकी, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.06.2026

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 22–03–2026 व 23–03–2026 के दरम्यानी रात्रि को पाली डिएसटी प्रभारी सोहनलाल जाखड़ व पुलिस थाना खिवाड़ा के एएसआई भरतसिंह मय जाब्ता ने गांव सिवास के पास नदी में बजरी से भरी हुयी तीन ट्रेक्टर ट्रोली व एक जेसीबी मशीन को जब्त किया जिसका कोई अनुज्ञा पत्र, परमिट, लाईसेंस रवाना आदि नहीं होना पायी जाने पर उन्हें जब्त किया गया और थाने पर प्रकरण संख्या 48/2026 अंतर्गत धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 एमएमडीआर एक्ट में दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान इसकी सूचना खनिज अभियंता सोजत को दी गयी। खनिज अभियंता द्वारा तीन ट्रेक्टरों के संबंध में 1,27,400 रूपये तथा जेसीबी के संबंध में 4,87,200/– रूपये की राशि शास्ति कंपाउन्ड राशि व एनजीटी राशि के रूप में निकाली। इस प्रकरण के वाहन स्वामी जितेन्द्रसिंह ने अपनी जेसीबी मशीन को छुड़वाने के लिए व उसे अपनी सुपुर्दी पर लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497, 503 बीएनएसएस का न्यायिक मजिस्ट्रेट देसूरी के समक्ष पेश किया। जिनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27–04–2026 को खारिज कर दिया गया जिससे आहत होकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी है।

02. बहस के दौरान निगरानीकार ने अपनी निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि उसके वाहन जेसीबी नंबर आरजे–30–इए–1993 को गलत रूप से अवैध बजरी परिवहन में बताकर जब्त किया गया है। खनिज विभाग द्वारा राजसात की कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गयी उसे न तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई डिमांड नोटिस दिया गया। उक्त जेसीबी मशीन के थाने पर रखे जाने से उसके कबाड़ होने की पूर्ण संभावना है। निगरानीकर्ता को ठेके पर निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए किराये पर जेसीबी लानी पड़ रही है। अतः उक्त वाहन सुपुर्गीनामा और जमानतनामा पर निर्मुक्त किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन

में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं। **सुंदरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2002 सुप्रीम कोर्ट, व संजीब उर्फ संजीव राजस्थान राज्य S.B. Criminal Misc (Pet) No. 6102/2022.**

03. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिये कि वाहन जब्ती की सूचना मिलते ही खनिज अभियंता ने इसकी सूचना संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को दे दी थी। वाहन मालिक का पता देरी से चला वाहन मालिक को नोटिस दिया जा चुका है। वाहन मालिक पहले भी कई बार उनके कार्यालय में उपस्थित हुआ, परन्तु उसने कम्पाउंड पेलेन्टी व एनजीटी राशि निकाली गयी राशि जमा नहीं करवायी गयी। राजसात की कार्यवाही का प्रारंभ ही नोटिस देने की तारीख से होता है। विभाग की गाइडलाईन विभाग के लिए कुछ पैरामीटर जरूर तय करती है, परन्तु उसका सही प्रकार से पालन नहीं होने से अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति कानून के विरुद्ध अपना वाहन निर्मुक्त करवाने का अधिकारी नहीं हो जाता है। विभागीय गाईडलाईन की पालना नहीं होने पर विभाग अपने विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर सकता है। नियम 54(6) राजस्थान लघु खनिज छूट नियम 2017 के तहत अधिहरण की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। एक बार अधिहरण/राजसात की कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात उक्त वाहन निर्मुक्त नहीं करने के पक्ष में विधि प्रतिपादित हुयी है। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है–

(i) राजस्थान राज्य व अन्य बनाम जगदीश प्रसाद SLP संख्या 106–107/2021 अंतिम आदेश दिनांक 11–07–2023,
(ii) सुरेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान राज्य S.B. Criminal Misc (Pet) No. 867/2023,
(iii) जितेन्द्र मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य S.B. Criminal Misc (Pet) No. 1161/2020,
(iv) चेनाराम बनाम राजस्थान राज्य 597/2024 दिनांक 25–05–2025

04. उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में उक्त आलोच्य आदेश की वैध्यता व शुद्धता तथा ओचित्यता इस प्रकरण में प्रश्नगत है। इस न्यायालय के समक्ष मुख्य अवधारणीय बिंदु यह है कि–

"क्या विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट देसूरी का आलौच्य आदेश दिनांक 27–04–2026 अशुद्ध, अवैध व औचित्यहीन है तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है?"

05. अवैध खनन के संबंध में निगरानीकार द्वारा राजस्थान सरकार के निदेशालय खान एवं खनिज विभाग भवन, उदयपुर विभाग की गाईडलाईन दिनांक 05.03.2021 पेश की गई है उस विभाग की गाईडलाईन अधिहरण के संबंध में निम्नलिखित है –

"1. सर्वप्रथम सहायक खनि अभियन्ता अथवा वरिष्ठ स्तर के अधिकारी / कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अवैध खननकर्ता/निर्गमनकर्ता/भण्डारणकर्ता जिसके कब्जे से खनिज, वाहन, मशीनरी, औजार इत्यादि जब्त किये गये हैं, को रजिस्टर्ड डाक/दस्ती द्वारा लिखित कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिवस का सुनवाई का अवसर दिया जावेगा।
2. निश्चित समयावधि में संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने पर मांग आदेश जारी करते हुए अवैध खननकर्ता/निर्गमनकर्ता/भण्डारणकर्ता को इस आशय से

लिखित में सूचित किया जावेगा कि यदि उसके द्वारा निश्चित तिथि (जब्त किये जाने की तिथी से 03 माह की तिथी) तक कुल शास्ति राशि (रॉयल्टी की 10 गुना राशि कम्पाउण्ड फीस माननीय न्यायालय / ट्रिब्युनल द्वारा आदेशित कम्पाउण्ड फीस) राजकोष में जमा नहीं करवाने अथवा जमा करवाने की सूचना कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने पर जब्तशुदा सामग्री (जिसका विवरण अंकित किया जावें) को अधिहरण / राजसात (confiscate) कराने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

3. निश्चित समयावधि में अवैध खननकर्ता / निर्गमनकर्ता/भण्डारणकर्ता द्वारा प्रकरण में वसूलनीय समस्त मांग राशि जमा नहीं कराई जाती है अथवा जमा कराए जाने की सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है तो एसी स्थिति में सहायक खनि अभियन्ता अथवा वरिष्ठ स्तर के अधिकारी (खनिकार्यदेशक / सर्वेयर द्वारा वरिष्ठ अधिकारी / कार्यालय अध्यक्ष की पूर्वानुमति के पश्चात) द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा समस्त सामग्री को अधिहरण/राजसात (confiscate) कराऐ जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

4. उक्त कार्यवाही के संबंध में न्यायालय को सूचित किये जाने हेतु पत्र, कारण बतओं नोटिस एवं मांग आदेश के प्रारूप संलग्न है जिनमे मौका स्थिति एवं प्रकरण अनुसार बदलाव सुनिश्चित की जावे।

5. यदि किसी अधिकारी/ तकनीकी कर्मचारी द्वारा प्रकरण में एफआईआर अथवा इस्तगासा दायर किया जाता है अथवा माननीय न्यायालय द्वारा जब्तशुदा सामग्री मालिक को सुपुर्द किये जाने के आदेश जारी किये जाते है तब भी अधिहरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

6. यदि माननीय न्यायालय द्वारा जब्तशुदा सामग्री मालिक को सुपुर्दगी के आदेश जारी किये जाते है, तब भी शास्ति राशि की वसूली की कार्यवाही निरन्तर की जावे।"

06– इसके अलावा निगरानीकार व गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में यही विधि प्रतिपादित की गयी है कि एक बार राजसात की कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात तब तक वाहन निर्मुक्त नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पेनेल्टी राशि, कम्पाउंड राशि, एनजीटी राशि सहित सम्पूर्ण राशि मांग के अनुसार जमा नहीं करवा दी जाती। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **संजीब उर्फ संजीव राजस्थान राज्य S.B. Criminal Misc (Pet) No. 6102/2022** में निम्न विधि पुनः प्रतिपादित की गई है–

''... ...Narayan Gadri Vs. State of Rajasthan: S.B. Criminal Misc. Petition No.6304/2021, dated 02.07.2024, which incidentally was rendered by me. Relevant thereof, being apposite, is reproduced hereinabove:–

"7. At the very outset, before proceeding further, it would be worthwhile to refer to a judgment rendered by the coordinate Bench of this Court in somewhat similar circumstances in case title Kishore Singh Vs. State of Rajasthan: (2021) 0 Supreme (Raj.) 139 speaking for this Court, my learned Brother Dr. Pushpendra Singh Bhati, J. opined thus:–

"25. This Court, on a careful examination of the precedent laws in

> an intricate manner, finds that the precedent laws of Sunderbhai Ambalal Desai & Ors. Vs. State of Gujarat (supra) and Adhikshak Rashtriya Chambal Abhyaran Vs. Narottam Singh (supra), as laid down by the Hon'ble Supreme Court, shall govern the field, and thus, the vehicles seized under the mining law and the forest law, shall be released, upon charging the compensation/compounding fee or without charging the compensation/compounding fee, only and only, if the confiscation proceedings in regard thereto have not been initiated by the State authorities. It is to be noted that both mining and the forest laws have the provisions for confiscation proceedings.

07. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई** में अवश्य ही विधि प्रतिपादित की थी कि पुलिस द्वारा जब्त वस्तुओं को शीघ्र अतिशीघ्र निर्मुक्त किया जाना चाहिए, परन्तु अवैध खनन के संबंध में प्रतिपादित समस्त न्यायिक निर्णय उक्त न्यायिक निर्णय के बाद के है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त वाहनों को निर्मुक्त करने के विरुद्ध ही विधि प्रतिपादित की है और पर्यावरणीय क्षति के लिए एनजीटी द्वारा निर्धारित राशि को जमा करवाने के बाद ही वाहन निर्मुक्त करने के संबंध में विधि प्रतिपादित हुई है। इस प्रकार के कठोर कानूनों में वाहन निर्मुक्त करने के संबंध में आपराधिक स्थितियां विद्यमान होती है जहां साधारणतया वस्तुओं को छोड़ने के संबंध में प्रतिपादित विधि सामान्यतः लागू नहीं होती है। किसी विभाग द्वारा गाइडलाइन की पालना की जाना विभागीय अधिकारियों की जिम्मदारी होती है, परन्तु यदि विभागीय अधिकारियों द्वारा उनकी पालना नहीं की जाती है जिसके कोइ भी कारण हो सकते हैं तब भी ऐसी कोई स्थिति अवैध खनन में लिप्त वाहन को निर्मुक्त करने का कोइ आधार नहीं है। इस प्रकरण में जब न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र लंबित था तब खनिज अभियंता के द्वारा यह सूचना दी गई थी कि वाहन के मालिक का पता किया जाना है और परिवहन विभाग से उसके मालिक का पता कर उसे नोटिस दिया जायेगा। जब वाहन मालिक अज्ञात हो तो उसके नाम के बारे में पता करना भी राजसात की कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में ही माना जाना चाहिए। इसके पश्चात इस निगरानीकार जितेन्द्रसिंह को विभाग द्वारा दिनांक 22–06–2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है जो उस पर तामील हो चुका है। समय सीमा बाध्यकारी नहीं है। केवल निर्देश के रूप में मानी जा सकती है। अतः इस न्यायालय के मत में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने न्यायिक मस्तिष्क का विधि अनुसार प्रयोग कर वाहन सुपुर्दगी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया था जो किसी भी प्रकार से विधिक प्रावधानों के विरुद्ध अशुद्ध या औचित्यहीन नहीं माना जा सकता है।

08. परिणामतः यह निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी के आलौच्य आदेश दिनांक 27.04.2026 को पुष्ट किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

आदेश की प्रति विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी को प्रेषित की जावे।

(पूना राम गोदारा)
अपर सेशन न्यायाधीश, देसूरी, पाली